न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11/2021

उनवान

1. मेजर राघव राज सिंह पिता स्व. श्री ध्रुवनारायण सिंह, निवासी तीतरडी, उयदपुर (राज.)।
2. श्रीमति जयश्री सिंह पत्नि स्व. श्री ध्रुवनारायण सिंह, निवासी तीतरडी, उयदपुर (राज.)।
3. श्रीमति उषा किरण पुत्री स्व. श्री ध्रुवनारायण सिंह, निवासी तीतरडी, उयदपुर (राज.)।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर, जिला भीलवाडा।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980

1. अपीलार्थीगण– अधिवक्ता भैरूलाल बापना, विपुल बापना उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी – राजकीय पैरोकार उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 24/02/2026

1– अपीलार्थीगण की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि महाराज श्री शिवदान सिंह जी शिवरती (राजस्थान मेवाड) मौजा शिवरती के जागीरदार थे जिनकी मिल्कीयत व आधिपत्य की भूमि मौजा शिवरती एवं अन्य स्थानों पर थी उनको अपनी भूमि को पट्टे के आधार पर हस्तान्तरित करने का अधिकार था उनके द्वारा स्व. भीम सिंह जी को मौजा शिवरती की आराजी संख्या 834 रकबा 251 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी संख्या 835 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का पट्टा संख्या 162 सम्बत् 2005 का कार्तिक कृष्णा एकम को पट्टा प्रदान किया यानि सन् 1948 में पट्टा प्रदान किया व लगान जमा हुआ। उक्त आराजी के नए नम्बर आ0 संख्या 1378 रकबा 53.81 हेक्टेयर व आ0 संख्या 1379 रकबा 0.90 हेक्टेयर बने है।

2– महाराज श्री शिवदान सिंह जी शिवरती द्वारा प्रदान किये गये पट्टे के आधार पर पैमाईश में उक्त भूमि की पानडी स्व0 भीम सिंह जी को प्रदान की गई इस प्रकार भूमि भीमसिंह जी के खाते में अंकित हो गई एवं भूमि का लगान भीमसिंह जी द्वारा बराबर अदा किया जाता रहा भीमसिंह का स्वर्गवास सन् 2006 में हो गया उनका सजरा निम्नलिखित है:– भीम सिंह के वारिस ध्रुवनारायण सिंह (पुत्र), श्रीमति प्रेम कुमार (पत्नि), श्रीमति उषा किरण (पुत्री) है ध्रुवनारायण सिंह के वारिस श्रीमति जयश्री सिंह (पत्नि), मेजर राघव राज सिंह (पुत्र) है। उक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष भीम सिंह थे उनके स्वर्गवास के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारी उनकी पत्नी श्रीमती प्रेम कुमारी जी जिनका स्वर्गवास 2017 में हो गया है, पुत्र ध्रुवनारायण सिंह व उनकी पुत्री श्रीमती ऊषा किरण हुए व श्री ध्रुवनारायण सिंह का भी सन् 1997 में स्वर्गवास हो गया जिससे उनके विधिक प्रतिनिधि उनकी पत्नी श्रीमती जयश्री सिंह व उनका पुत्र श्री मेजर राघवराज सिंह हुए।

3– उक्त भूमि के विधिक खातेदार काश्तकार भीमसिंह जी थे एवं विधिक व वास्तविक आधिपत्य उनका बराबर चला आ रहा व लगान भी बराबर उनके द्वारा जमा कराया जाता रहा। यानि उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार भीमसिंह जी थे एवं स्व भीमसिंह जी का आधिपत्य और कब्जा बिना किसी रोक के स्वतन्त्रतापूर्वक चला आ रहा था। किन्तु तहसीलदार आदि ने खातेदार स्व भीमसिंह जी को बेदखल करने का प्रयास किया स्व श्री भीमसिंह जी किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते थे इस कारण खातेदार श्री भीम सिंह ने एक दावा सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा में केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पेश कर सरकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही जिसका मुकदमा नं. 100/68 व जिसका निर्णय दिनांक 19.10.1970 को श्री

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भीमसिंह का दावा खारिज हो गया। उसकी अपील भीमसिह द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में पेश की जिसकी अपील संख्या 85/1971 होकर दिनांक 2/1/1974 को अपील खारिज हो गई। जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में हुई जिसके अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 6/2/1978 को प्रदान करते हुए अपील खारिज की।

4—यह है कि यहा उल्लेख करना आवश्यक होगा कि उक्त भूमि के खातेदार स्व. भीमसिंह का दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत पेश किया गया था। प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर पेश किया किन्तु प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा (Counter Suit) अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पेश नहीं किया ऐसी स्थिति में यहाँ यह निवेदन करना आवश्यक होगा कि उक्त निर्णयों का माननीय न्यायालयों द्वारा अवलोकन फरमाया जाए तो उक्त निर्णयों में स्व. भीमसिंह जी के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ किसी प्रकार का निर्णय कानूनन प्रदान किए जाने का उक्त तीनों न्यायालय को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। क्योंकि दावे व जवाबदावे में कहीं भी धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत घोषणा कराये जाने की दाद दोनों पक्षों द्वारा नहीं मांगी गई थी। उक्त दाद न तो वादी द्वारा माननीय न्यायालय से चाही गई न प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की घोषणा की दाद धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत चाही गई ऐसी स्थिति में उक्त अदालतों के निर्णयों का अवलोकन फरमाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। यानि किसी भी न्यायालय के समक्ष धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत दाद किसी भी पक्षकार ने नहीं मांगी ऐसी स्थिति में स्व. भीमसिंह के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ कोई शब्द निर्णयों में कानून के खिलाफ अंकित हो गया है तो वह कानून के खिलाफ होकर ऐसे निर्णय से स्व. भीमसिंह जी स्वयं बाध्य नहीं थे एवं निर्णयों में घोषणा के सम्बन्ध में किया गया अंकन प्रथम दृष्ट्या कानून के खिलाफ होकर विधि विरुद्ध है उसको आधार बनाकर विधि से परे जाकर उक्त नामान्तरण बिना किसी अधिकार के खोला गया जो प्रारंभिक रूप से ही निरस्तनिय है। ऐसे निर्णयों को कानूनन देखा नहीं जा सकता।

5— स्व. श्री भीमसिंह जी लम्बे समय तक बीमार रहे और हृदय रोग से ग्रस्त थे व उनका पुत्र श्री घ्रुवनारायण सिंह भी भारी बीमारी से जल्दी ही चल बसा, हाल में अपीलान्ट्स संख्या 1 तहसील में गया कागजात की जानकारी करने पर उक्त नामान्तरण को देखा गया व उसकी नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त करने पर यह सामने आया कि —

(क) उक्त नामान्तरण खोले जाने से पूर्व खातेदार को कोई सूचना नहीं दी, सुना नहीं गया, खातेदार को उसके परोक्ष में कानून के खिलाफ विधि विरूद्ध न्याय व कानून को ताक में रखकर स्व. भीमसिंह के खातेदारी अधिकारों को हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु तहसीलदार ने निर्णय पारित कर दिया जो कि पूर्णतया कानून के खिलाफ होकर विधि विरूद्ध है।

(ख) यह कि नामन्तरण संख्या 210 में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिसमें सिंचाई विभाग के नाम दर्ज करने हेतु लिखा गया जबकि इसके सम्बन्ध में भी सहायक कलेक्टर द्वारा कोई आदेश प्रदान नहीं किए फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर 18.01.80 को बीना किसी अधिकार के कानून से परे जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार कर दिया जिससे भी उक्त नामान्तरण निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

(ग) पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण भरा गया जिसमे तहसील आदेश 726/28.11.1971 का उल्लेख किया गया है। यह कि उक्त निर्णय की नकल देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त निर्णय पत्र संख्या 80/65 दिनांक 18.01.1980 के अनुसार दिनांक 14.02.1980 को उक्त नामान्तरण खोला गया। उक्त नामान्तरण प्रकरण सं. 80/65 के पत्र के अनुसार खोले जाने का उल्लेख किया है कि नामान्तरण खोलना ज्ञात हुआ, इस संबंध में तहसील से एक नकल दिनांक 18.01.1980 के पत्र की प्राप्त हुई जिसके आधार पर नामान्तरण खोलना ज्ञात हुआ किन्तु 18.01.1980 के पत्र को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उक्त पत्र के अनुसार भीमसिंह जी के खाते को खारिज करने का कोई आदेश अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त पत्रों में भारी विरोधाभास है। इस आधार पर खोला गया नामान्तरण कानून के खिलाफ होकर विधी विरूद्ध है। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त नामान्तरण को खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

6– यह कि बिना किसी खातेदार को सूचना दिए उसकी जमीन का उसके परोक्ष में कोई निर्णय पारित किया जाता है तो वह निर्णय जंगल के कानून की तरह प्रदान किया गया निर्णय है इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना आवश्यक होगा कि ऐसे निर्णय न्याय की परिधि में नहीं आते है तहसीलदार ने अपने विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया एवं कानून के खिलाफ नामान्तरण खोलकर भारी अन्याय किया है।

7– यह कि प्राकृतिक न्याय (Natural justice) के प्रावधानों का यहां अवलोकन फरमाया जाना आवश्यक है क्योंकि भारतीय संविधान में स्पष्ट निर्देश प्रदान किया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति की मिल्कियत की सम्पत्ति को उसके अधिकारों को अन्यायपूर्ण तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है किन्तु उक्त नामान्तरण जिसके आधार पर खोला गया है वह नामान्तरण प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में प्रदान किया गया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून के खिलाफ विधि विरूद्ध प्रदान किया गया निर्णय है। ऐसे निर्णयों के आधार पर अपील किए जाने की भी कोई मयाद नहीं हो सकती। जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जाए।

8– अपीलान्ट्स की उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है वह विधिवत आधिपत्यधारी है एवं इस प्रकार गुप्त रूप से किये गये निर्णय से अपीलान्ट्स बाध्य नहीं है जिससे ऐसे निर्णय को किसी भी समय खारिज किया जा सकता है।

9– अपीलान्ट्स द्वारा तहसील से उक्त सारे कागजात प्राप्त करने पर उक्त निर्णय के बारे में ज्ञात हुआ व उक्त कागजात प्राप्त करते ही उक्त अपील बिना विलम्ब प्रस्तुत की जा रही है उक्त अपील प्रस्तुत करने में कोई जान बुझकर चुक या देरी नहीं की है जिससे न्यायहित में उक्त अपील को दर्ज फरमाई जाकर विलम्ब के लिए धारा 5 कानून मयाद अधिनियम की प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। उक्त भूमि अपीलान्ट्स के नाम खाते में अंकित कराई जाने का निवेदन किया गया।

10– बाद जांच प्रकरण दिनांक 12.04.2021 को पंजीबद्व किया जाकर प्रत्यर्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता अपील में दस्तावेजात पेश किये। सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थिया ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। जिसके खण्डन में प्रत्यर्थी द्वारो किसी प्रकार का कोई तथ्य एवं दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं होने से अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये, अपील अपीलार्थीगण मियाद में शुमार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में निवेदन किया गया कि – महाराज श्री शिवदान सिंह जी शिवरती द्वारा प्रदान किये गये पट्टे के आधार पर पैमाईश में उक्त भूमि की पानडी स्व0 भीम सिंह जी को प्रदान की गई इस प्रकार भूमि भीमसिंह जी के खाते में अंकित हो गई एवं भूमि का लगान भीमसिंह जी द्वारा बराबर अदा किया जाता रहा भीमसिंह का स्वर्गवास सन् 2006 में हो गया। भीम सिंह के वारिस ध्रुवनारायण सिंह (पुत्र), श्रीमति प्रेम कुमार (पत्नि), श्रीमति उषा किरण (पुत्री) है, ध्रुवनारायण सिंह के वारिस श्रीमति जयश्री सिंह (पत्नि), मेजर राघव राज सिंह (पुत्र) है। उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार भीमसिंह जी थे एवं स्व भीमसिंह जी का आधिपत्य और कब्जा बिना किसी रोक के स्वतन्त्रतापूर्वक चला आ रहा था। किन्तु तहसीलदार आदि ने खातेदार स्व भीमसिंह जी को बेदखल करने का प्रयास किया स्व श्री भीमसिंह जी किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते थे इस कारण खातेदार श्री भीम सिंह ने एक दावा सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा में केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पेश कर सरकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही जिसका मुकदमा नं. 100/68 व जिसका निर्णय दिनांक 19.10.1970 को श्री भीमसिंह का दावा खारिज हो गया। उसकी अपील भीमसिह द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में पेश की जिसकी अपील

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 85/1971 होकर दिनांक 2/1/1974 को अपील खारिज हो गई। जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में हुई जिसके अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 6/2/1978 को प्रदान करते हुए अपील खारिज की। यह है कि किसी खातेदार को सूचना दिए उसकी जमीन का उसके परोक्ष में कोई निर्णय पारित किया जाता है तो वह निर्णय जंगल के कानून की तरह प्रदान किया गया निर्णय है इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना आवश्यक होगा कि ऐसे निर्णय न्याय की परिधि में नहीं आते है तहसीलदार ने अपने विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया एवं कानून के खिलाफ नामान्तरण खोलकर भारी अन्याय किया है।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। उक्त भूमि अपीलान्ट्स के नाम खाते में अंकित कराई जाने का निवेदन किया गया।

11— **प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने जवाब/दस्तावेज पेश किये गये। प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया व** तहसीलदार सहाडा के पत्र कमांक 1171 दिनांक 06.11.2025 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया गया कि माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश, भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.70, माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर की अपील संख्या 85/1971 निर्णय दिनांक 02.01.1974 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.1978 के आधार पर नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 दर्ज किया गया।

12— नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.70, माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर की अपील संख्या 85/1971 निर्णय दिनांक 02.01.1974 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.1978 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया।

13— राजस्व ग्राम शिवरती में साबिक आराजी सख्या 834, 835 एवं हाल आराजी संख्या 1378, 1379 निम्ननानुसार दर्ज राजस्व रेकार्ड है— **जमाबन्दी सवंत् 2011—2014** खाता संख्या 289 खसरा संख्या 834 रकबा एवं किस्म 251 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 835 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भीमसिंह पिता शिवदान सिंह सा0 उदयपुर, **जमाबन्दी संवत् 2035—38** खाता संख्या 223 खसरा संख्या 834 रकबा एवं किस्म 251 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 835 रकबा एवं किस्म 4 बीघा 4 बिस्वा भीमसिंह पिता शिवदान सिंह सा0 उदयपुर, **जमाबन्दी संवत् 2054** खाता संख्या 503 खसरा संख्या 1378 रकबा एवं किस्म 251 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 1379 रकबा एवं किस्म 4 बीघा 4 बिस्वा बिलानाम नामान्तरण करण का निरन्तर, **जमाबन्दी संवत् 2074—77** खाता संख्या 01 खसरा संख्या 1378 रकबा एवं किस्म 53.81 है0 पेटा तालाब व खसरा सख्या 1379 रकबा एवं किस्म 0.90 है0 गै0मु0 पाल बिलानाम नामान्तरण का निरन्तर है।

14— यह है कि खसरा गिरदावरी भूमि की संवत् 2019 से 2022 तक एवं 2023 से 2026 तक की जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 तक की पानड़ी बन्दोबस्त खसरा नं0 286 दिनांक 15.04.54 पेश हुई है। और राज्य सरकार को दिये गये नोटिस दफा 80 जाबता दीवानी की पोस्टर रसीदे पेश हुई है। ओर वादी ने स्वयं के बयान शहादत में कराये है। प्रतिवादी ने उसके रिबटल में जागीर कमीश्नर राजस्थान का पत्र संख्या 14.02.69 पेश किया है जिसके जरीये उन्होने अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग को सूचित किया है कि तालाब विवादग्रस्त जागीदार की निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नही है। दिनांक 11.03.65 को जागीर कमीश्नर ने जागीदार की गैर हाजरी में मुकदमा व दाखिल दफ्तर किया उसके फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी—3 भी पेश की है जागीदार ने प्रदर्श डी 4 प्रार्थना पत्र जागीर कमीश्नर को लिखा जिसके साथ निजि सम्पत्ति की चार सूचियां जागीर कमीश्नर को भेजी उन सूचियों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रतिवादी की ओर से पेश हुई है। जिसमें उक्त तालाब का जिकर नहीं है। दिनांक 24.3.55 को जागीरदार शिवदान सिंह ने

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रदर्श डी–1 प्रार्थनापत्र जिलाधीश भीलवाड़ा को लिखा जिससे उन्होंने यह स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त तालाब जागीर पुर्नग्रहण के तहत राजस्थान सरकार की मिलाकियत का बन चुका है। और राज्य सरकार उसकी देख–रेख की व्यवस्था करें।

15– वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी शहादत में विवादग्रस्त तालाब वादी को खातेदारी में दर्ज है। जैसा कि प्रदर्श पी 2 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श पी 1 पानड़ी बन्दोबस्त, प्रदर्श पी 3 जमाबन्दी, प्रदर्श पी 4 खसरा गिरदावरी से जाहिर है। प्रदर्श पी 7 लगायत प्रदर्श पी 14 तक नोटिस और उसकी रसीदों की नकले है। जिनके विवेचन की आवश्यकता नहीं है। इस रेकार्ड की ताईद में वादी ने पटवारी रोडूलाल पीड्ब्लयू 1 की सहादत कराई है। जिसने उक्त दस्तावेज को अपने बयान में असली रेकार्ड के मुकाबले सही होना लिखाया है बन्दोबस्ती रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदर्श पी–3 पानड़ी बन्दोबस्त की ताईद पटवारी ने नही की है। किन्तु यह असल पानड़ी फाईल पर मौजूद है। जिसका सही होने का कयास लगाया जावेगा। वादी भीमसिंह ने अपने दावें में दावे की ताईद की है और लिखाया है कि विवादग्रस्त तालाब का पट्टा संवत् 2005 में ठिकाना शिवरती से मुझे मिला था। मैने ही जागीरदार को लगान दिया है। और पुर्नग्रहण के पश्चात् लगान सरकार में जमा कराता हूँ। जिरह पर वादी ने लिखाया कि तालाब से पिलाई शिवदानसिंह के वक्त से ही होती रही है। मुझे पट्टा जागीरदार ने जागीर पुर्नग्रहण के पूर्व दिया था। पट्टा गुम हो गया है। अभी मेरे पास नहीं है। यह पट्टा रजिस्टर्ड नही था। ठिकाने में पट्टा बही रहती है। उस पट्टे का ईन्द्राज जागीरदार की बही में है, या नहीं मुझे ध्यान नहीं है में जागीरदार का बड़ा पुत्र हूँ। मुझे भी जागीर का मुआवजा मिला है। मुआवजे की दरख्वास्त में तालाब का ईन्द्राज नहीं किया था। तीन चार साल पहले से सिंचाई विभाग ने पानी निकालना शुरू कर रखा है। अगर सन् 1956 से सिंचाई विभाग पानी निकाल रहा हो तो मुझे उसका ध्यान नहीं है। उन दिनों में उदयपुर पढ़ता था। प्रदर्श डी–5 मेरे पिताजी के हाथ का नहीं है। पहली बार में उक्त तालाब पर सन् 66 में गया था।

16– उपरोक्त शहादत के आधार पर योग्य वकील वादी ने दलील दी कि विवादग्रस्त तालाब पर वादी का खातेदारी अधिकार भलीभांति प्रमाणित है। योग्य सरकारी वकील ने उसका प्रतिवाद किया और बताया कि जिस पटटे के द्वारा वादी अपना हक बताता है वो न तो शहादत में पेश हुआ है न उसे दिगर तरीके से प्रमाणित कराया गया है। जागीरदार शिवदान सिह आज भी जीवित है। यदि वादी चाहता तो उसके बयान अपने पक्ष में करा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श डी–4 और जागीर कमीश्नर की तहरीर से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि यह तालाब जागीरदार के समय से ही सार्वजनिक सिंचाई के काम आता रहा है और पुर्नग्रहण का तारीख से धारा 23 के पुर्नग्रहण के तहत स्वतः ही राज्य सरकार की मिलकियत बन चुका है। जागीर कमीश्नर के दफ्तर में जागीरदार की पट्टा बहियां आज भी है और यदि वादी चाहता तो पट्टे के इन्द्राज उनसे साबित करा सकता था। अतः केवल बन्दोबस्ती पानड़ी के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता।

17– उक्त दलीलों पर गौर किया और यह जानकारी भी प्राप्त की तथा कचित मुन्तकिसी वादी के पक्ष में होने के पश्चात् वादी का कब्जा उक्त तालाब पर किस प्रकार का रहा है। वादी स्वयं सन् 55 में नाबालिग था और इस आशय की कोई शहादत पेश नहीं हुई है कि उसकी ओर से कभी लगान राज्य सरकार को दिया गया अथवा जागीरदार को दिया गया। वादी ने स्वयं जिरह में स्वीकार किया कि पांती बटवारा जागीरदार और वादी और जागीरदार के दूसरों पुत्रों के मध हो चुका है। जिसका एक रजिस्टर्ड दस्तावेज भी है। लेकिन यह दस्तावेज बंटवाड़ा शहादत में पेश नहीं हुआ है। जिससे यह जाना जा सके कि वास्तव में तालाब तनहा वादी के हिस्से में आया था। फिर स्वयं जागीरदार को शहादत में पेश नही करने का क्या कारण है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

18– बन्दोबस्ती पानड़ी और जमाबन्दी के इन्द्राज का जाहिर तौर पर खड़ी होने का कयास लगाया जा सकता है। जब तक की इसकी रिबटल में दीगर शहादत मौजूद न हो। किन्तु मामला हाजा में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत शहादत से वादी द्वारा प्रस्तुत शहादत का पूर्णतया रिबटल होना प्रामाणित पाया जाता है। प्रदर्श डी–1 स्वयं जागीरदार की दस्तख्ती तहरीर है। और इस पर जिलाधीश भीलवाड़ा मौजूद थे। जिससमें जागीरदार ने यह स्वीकार किया है कि यह तालाब जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात् राज्य सरकार का हो चुका है। और उक्त तालाब से सदैव पिलाई होती आई है। प्रदर्श डी–1 की ताईद श्री सोमचन्द्र राजवंशी (एक्सईन इरीगेशन) एवं सज्जन सिंह गवाह के बयान से होती है जागीर कमीश्नर द्वारा अधिशाषी अभियन्ता को लिखी गई तहरीर और जागीरदार की व्यक्तिगत सम्पतियों की सूचियों स्वयं जागीरदार कमीश्नर द्वारा प्रमाणित है। और उसके लिए मजीद किसी शहादत की आवश्यकता नहीं है। वादी का तालाब पर भौतिक कब्जा होना भी नही माना जा सकता क्योंकि वो स्वयं नाबालिग था। और कब्जे बाबत दीगर शहादत लगान आदि चुकाने का हो सकती है। वो बिल्कुल भी पेश नहीं हुई है। अतः मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि विवादग्रस्त तालाब पर वादी का खातेदारी अधिकार नही है। तनकी वादी के विरूद्ध और प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती हैं।

19– तहसीलदार द्वारा अंकित किया गया कि माननीय न्यायालय की तनकी 01 के निर्णय से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पूर्वहिताधिग्राही माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 भीमसिह पुत्र शिवदानसिंह राजपूत बनाम राजस्थान सरकार के वादी भीमसिंह पुत्र शिवदान सिंह के विरुद्ध और प्रतिवादी के पक्ष में तय की गई है। उक्त वाद में प्रतिवादी ने जागीर कमीश्नर राजस्थान का पत्र संख्या 14.02.1969 पेश किया जिसके जरिये उन्होने अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग को सूचित किया है कि तालाब विवादग्रस्त जागीरदार की निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं है। दिनांक 11.03.1965 को जागीर कमीश्नर ने जागीरदार की गैर हाजरी में मुकदमा दाखिल दफतर किया उसके फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी–3 (मूलवाद में संलग्न प्रदर्श) भी पेश की है। जागीरदार ने प्रदर्श डी–4 (भूलवाद में संलग्न प्रदर्श) जागीर कमीश्नर को लिखा जिसके साथ निजी सम्पत्ति की चार सूचिया जागीर कमीश्नर को भेजी उन सूचियों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रतिवादी की ओर से पेश हुई है। जिससे उक्त तालाब का जिकर नहीं है। दिनांक 24.03.55 को जागीरदार शिवसिंह ने प्रदर्श डी–1 प्रार्थना पत्र जिलाधीश भीलवाड़ा को लिखा जिसमें उन्होने यह स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त तालाब जागीर पुर्नग्रहण के तहत राजस्थान सरकार की मिलाकियत का बन चुका है और राज्य सरकार उसकी देखरेख की व्यवस्था करें।

20– उक्त वाद में योग्य सरकारी वकील ने प्रतिवाद किया और बताया कि जिस पट्टे के द्वारा वादी अपना हक बताता है वो न तो शहादत में पेश हुआ न उसे दिगर तरीके प्रमाणित कराया गया। जागीरदार शिवदान सिंह आज भी जीवित है। यदि वादी चाहता तो उसके बयान अपने पक्ष में करा सकता था। लेकिन ऐसा नही किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी–4 (मूलवाद में संलग्न प्रदर्श) और जागीर कमीश्नर की तहरीर से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि यह तालाब जागीरदार के समय से ही सार्वजनिक सिंचाई के काम आता रहा है और पुर्नग्रहण की तारीख से घारा 23 पुर्नग्रहण एक्ट के तहत By Operation of Law स्वतः ही राज्य सरकार की मिलकियत बन चुका है। अतः उक्त निर्णय के तय तनकीयत में तनकी 01 निर्णय प्रतिवादी राज्य सरकार के पक्ष में की गई। उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 दर्ज हुआ जो निर्णयानुसार है।

21– माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश, भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.70, माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर की अपील

जिला कलक्टर (राज.) भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 85/1971 निर्णय दिनांक 02.01.1974 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.1978 के आधार पर नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। साथ ही पुर्नग्रहण की तारीख से धारा 23 पुर्नग्रहण एक्ट के तहत बाई ऑपरेशन ऑफ लेण्ड स्वतः ही राज्य सरकार की मिलकियत बन चुका है। साथ ही दिनांक 24.03.1955 को जागीरदार शिवसिंह ने प्रदर्श डी–1 (मूलवाद में संलग्न प्रदर्श) प्रार्थना पत्र जिलाधीश भीलवाड़ा को लिखा जिससे उन्होने यह स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त तालाब जागीर पुर्नग्रहण के तहत राजस्थान सरकार की मिलाकियत का बन चुका है और राज्य सरकार उसकी देखरेख की व्यवस्था करें।

साथ ही माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा राजस्व बाद संख्या 100/08 के वाद भीमसिंह पुत्र शिवदानसिंह द्वारा उक्त वाद के तनकी 01 में वादी ने यह लिखाया कि तालाब से पिलाई शिवदानसिंह जी के वक्त से ही होती रही है, मुझे पट्टा जागीरदार ने जागीर पुर्नग्रहण के पूर्व दिया था। पट्टा गुम हो गया है अभी मेरे पास नहीं है। यह पट्टा रजिस्टर्ड नहीं था। ठिकाने में पदट्टा बही रखती है। उसक पदटे का इन्द्राज जागीरदार की बही में भी है या नही मुझे ध्यान नहीं है। साथ ही उक्त तनकी 01 में प्रतिवादी के सरकारी वकील शहादत के अनुसार जागीर कमीश्नर के दफ्तर में जागीरदार की पट्टा बहिया आज भी मौजूद है। यदि वादी चाहता तो पट्टे के इन्द्राज उनसे साबित करा सकता था। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पेश नहीं किया क्योंकि जागीर पुर्नग्रहण एक्ट की धारा 23 के अनुसार एक्ट के लागू होने की तारीख से ही उक्त आराजीयात राज्य सरकार की मिलकीयत है साथ ही उक्त वाद में जागीरदार शिवदानसिंह द्वारा दिनांक 24.03.1965 जागीरदार शिवसिंह ने प्रार्थना पत्र जिलाधीश भीलवाड़ा को लिखा जिससे उन्होने यह स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त तालाब जागीर पुर्नग्रहण के तहत राजस्थान सरकार की मिलाकियत का बन चुका है और राज्य सरकार उसकी देखरेख की व्यवस्था करें।

22– यह है कि नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 खोले जाने से पूर्व खातेदार को कोई सूचना नहीं दी, सुना नहीं उक्त बिन्दु 5 (क) का जवाब यह कि उक्त नामान्तरण माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.70, माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर की अपील संख्या 85/1971 निर्णय दिनांक 02.01.1974 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.1978 के आधार पर नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया।

23– नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.70, माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर की अपील संख्या 85/1971 निर्णय दिनांक 02.01.1974 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.1978 के आधार पर नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया।

24– माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.1970 की पालना में तहसील आदेश 726/28.11.1971 से नामान्तरण संख्या 210 पटवार हल्का द्वारा भरा गया। तत्पश्चात् उक्त निर्णय अपील माननीय राजस्व अपीलीय अधिकारी उदयपुर में अपील संख्या 85/1971 होकर निर्णय दिनांक 02.01.1974 से खारीज की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तत्पश्चात् उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.4978 की पालना में तहसील आदेश दिनांक 18.01.1980 के आधार पर नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 फैसल होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है।

25– आराजीयात का वाद माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.1970 उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर में अपील संख्या 85/1971 निर्णय दिनांक 02.01.1974 से खारीज हुई। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.1978 के आधार पर सुना जाकर जरिये नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम अमलदरामद किया गया।

26– माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.1970 उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी से निर्णय होकर खारीज की गई। उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निर्णय होकर निर्णय दिनांक 06.02.1978 को खारीज की गई। तत्पश्चात् नामान्तरण सख्या 210 दिनांक 14.02.1980 को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया। उक्त निर्णय पारित होने से 45 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र धारा 96 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अतः राजहित में अपील खारीज करने हेतु सादर निवेदन है।

27– माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 भीमसिंह पुत्र शिवदानसिंह राजपूत बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 19.10.1970 में तय तनकीयात में पालना में तहसील कार्यालय के आदेश कमांक 726/28.11.1971 के तहत पटवार हल्का शिवरती द्वारा नामान्तरण संख्या 210 दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय की अपील माननीय राजस्व अपीलीय अधिकारी उदयपुर में अपील संख्या 85/1971 निर्णय दिनांक 02.01.1974 अपील खारीज हुई। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.1978 से अपील खारीज हुई। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में तहसील आदेश दिनांक 18.01.1980 की पालना में नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 फैसल होकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया।

28– माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.1970 की तय तनकीयात में तनकी 01 आया विवाद उक्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकारान है, तय की गई। उक्त तनकी में प्रतिवादी द्वारा निम्न शहादत प्रस्तुत की गईः–

(i) यह कि पुनर्ग्रहण की तारीख से धारा 23 पुनर्ग्रहण एक्ट के तहत By Operation of Law स्वतः ही विवादग्रस्त आराजी राज्य सरकार की मिलकीयत बन चुका है।

(ii) यह कि दिनांक 24.03.1955 को जागीरदार शिवदान सिंह ने प्रदर्श डी–1 (मूलवाद में प्रदर्श संलग्न) प्रार्थना पत्र श्रीमान जिलाधीश भीलवाड़ा को लिखा जिससे उन्होनें यह स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त तालाब जागीर पुनर्ग्रहण के तहत राज्य सरकार की मिलकियत का बन चुका है और राज्य सरकार उसकी देखरेख की व्यवस्था करें।

(iii) यह कि प्रतिवादी रिबटल/शहादत में जागीर कमीश्नर राजस्थान का पत्र संख्या 14.02.1969 को (मूलवाद में संलग्न प्रदर्श) पेश किया है। जिसके जरीये उन्होनें अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग को सूचित किया है कि विवादग्रस्त तालाब जागीरदार की निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं हैं।

(iv) यह कि जागीरदार ने प्रदर्श डी–4 (मूलवाद में संलग्न प्रदर्श) प्रार्थना पत्र जागीर कमीश्नर को भेजी उन सूचियों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रतिवादी ने पेश की हुई है। जिससे उक्त तालाब का जिकर नहीं है।

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

(v) यह कि वादी द्वारा यह शहादत दी गई कि उन्हे पट्टा जागीरदार ने जागीर पुनर्ग्रहण के पूर्व दिया था। पट्टा गुम हो गया है। अभी मेरे पास नहीं है। पट्टा रजिस्टर्ड नहीं था। ठिकाने में पट्टा बही रखती है। उस पट्टे का इन्द्राज जागीरदार की बही में भी है या नही मुझे ध्यान नहीं है। योग्य सरकारी वकील ने उसका प्रतिवाद किया और बताया कि जिस पट्टे के द्वारा वादी अपना हक बताता है वो न तो शहादत में पेश हुआ न उसे दिगर तरीके से प्रमाणित कराया गया है। जागीर कमीश्नर के दफ्तर में जागीरदार की पट्टा बहिया आज भी मौजूद है और वादी चाहता तो पट्टे के इन्द्राज उनसे साबित करा सकता था। अतः केवल बन्दोबस्ती पानड़ी के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार नही माना जा सकता हैं। उक्त तनकी 01 माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश, भीलवाड़ा राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.1970 निर्णय निम्नानुसार सुनाया गया मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि विवादग्रस्त तालाब पर वादी खातेदारी अधिकार नहीं है तनकी वादी के विरूद्ध और प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

अतः राजस्व ग्राम शिवरती नामान्तरकरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार दर्ज होकर फैसल किया जाकर आराजीयात संख्या 834 एवं 835 हाल आराजीयात 1378 एवं 1379 बिलानाम सरकार दर्ज राजस्व रिकार्ड अमल दरामद है। नामान्तरणकरण माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में दर्ज किया गया। बाद मियाद अपील प्रस्तुत करने एवं राज्यहित में अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

12– उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि– प्रकरण में माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश, भीलवाड़ा के राजस्व वाद संख्या 100/68 निर्णय दिनांक 19.10.70, माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर की अपील संख्या 85/1971 निर्णय दिनांक 02.01.1974 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की अपील संख्या 52/1974 निर्णय दिनांक 06.02.1978 के आधार पर नामान्तरण संख्या 210 निर्णय दिनांक 14.02.1980 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नामान्तरणकरण माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में दर्ज किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 26.02.2021 खारीज की जाती है। अतएव–

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 210 दिनांक 14.02.1980 को यथावत रखा जाता है। तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर, जिला भीलवाडा को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा